छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 78/2005

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 अंतर्गत

प्रकरण में –

1. मे. इन्स्ट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.

ए–5/ए–6, प्रगति चेंबर, रंजीत नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110008

2. श्री आर. पी. सिंह

कार्यपालक निदेशक, मे. इन्स्ट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.

ए–5/ए–6, प्रगति चेंबर, रंजीत नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110008

... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मे. सर्जी एड फार्मा हेल्थ केयर इक्विपमेंट,

कलेक्टोरेट के सामने, टाउन क्लॉक के पास, हॉल नं.–1,

द्वितीय तल, जी.ई. रोड, रायपुर – 492001 (छ.ग.)

मार्फ़त –स्वत्वधारी

श्री के.वी. आनंद, पिता श्री अश्विनी कुमार आनंद,

उम्र 36 वर्ष, निवासी: ए–5, सूर्य अपार्टमेंट्स, कटोरा

तालाब, रायपुर (छ.ग.)

-------- प्रत्यर्थी क्र. 1

मुकदमा लड़ने वाला पक्षकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. श्री के.वी. आनंद

पिता श्री अश्विनी कुमार आनंद

निवासी: A–5, सूर्य अपार्टमेंट्स, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.)

स्वत्वधारी

मे. सर्जी एड फार्मा हेल्थ केयर इक्विपमेंट,

कलेक्ट्रेट के सामने, टाउन क्लॉक के पास,

हॉल संख्या–I, द्वितीय तल, जी.ई. रोड,

रायपुर – 492 001 (छ.ग.)

---- प्रत्यर्थी क्र. 2

मुकदमा लड़ने वाला पक्षकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री अनिल अग्रवाल
मे. इंस्ट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.
ए–5/ए–6, प्रगति चैम्बर,
रंजीत नगर व्यावसायिक परिसर
नई दिल्ली – 110008

4. श्री अनिल दास
प्रबंधक,
मे. इंस्ट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.
निवासी – एस–312, सेक्टर–5
प्लॉट संख्या – 2
विवेकानंद अपार्टमेंट

5. मे. सहजपाल एंड एसोसिएट्स
14/34, डीडीए परिसर
नंगल राया नई दिल्ली – 110008

6. श्री एस. के. साहजी
मे. साहजी एंड एसोसिएट्स
14/34, डीडीए परिसर
नंगल राया नई दिल्ली – 110008

7. श्री एम. पी. सिंह
पिता श्री इंद्रजीत सिंह राजपूत
अधिकृत प्रतिनिधि
मे. इंस्ट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.
ए–5/ए–6, प्रगति चैम्बर,
रंजीत नगर व्यावसायिक परिसर, नई दिल्ली 110008

8. शांतनु उर्फ देवेश्वर शर्मा
पिता श्री एस. के. शर्मा
सी/ओ सर्जिकल एंड एसोसिएट
148/34, आर.बी. सेंटर,
मंगतराम कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली – 110046

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इंटरनेशनल कार्गो हेल्पर्स (सी.एच.ए.)
स्वत्वधारी – श्री विपुल जैन
पिता श्री जितेन्द्र जैन
आयु – 30 वर्ष, निवासी – प्रगति चैम्बर,
रंजीत नगर व्यावसायिक परिसर
नई दिल्ली – 110008

तथा :
3506, सेक्टर–3
गुड़गांव (हरियाणा)

10. श्री राजीव शर्मा
पिता श्री देवी प्रसाद शर्मा

11. श्री नितिन भाराल
पिता श्री डी. डी. भाराल

12. श्री नरेंद्र सिंह
पिता श्री त्रिलोक सिंह

13. श्री यश अरोड़ा
आयु 33 वर्ष
पिता श्री तिलक राज अरोड़ा

सभी (क्रमांक 10 से 13 तक) साझेदार–
कमिटेड कार्गो केयर प्रा. लि.
712, नगद दीवान
इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पास
नई दिल्ली ... ... प्रत्यर्थी क्र. 3–13 रीतित प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अंतर्गत यह याचिका आदेश दिनांक 05.04.2005 के विरुद्ध दाखिल की जा रही है, जिसके द्वारा 14वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के अंतर्गत दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया था, जो कि वाद क्र. 46–अ /04 को खारिज करने के लिए दाखिल किया गया था, जो कि, पहले पुलिस थाना गोल बाजार, रायपुर में भा.दं.सं की धारा 409 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र. 158/03 के रूप में दर्ज झूठे मामले में फंसाने के आधार पर, रूपए 2.18 करोड़ की क्षति की वसूली के लिए दाखिल किया गया था।

उच्च न्यायलय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्र. 78 /2005

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक 21–10–2005

श्री डी.के. रुस्तगी एवं श्री अली असगर, अधिवक्ता आवेदकों की ओर से, उपस्थित। ग्राह्यता और विविध (सिविल) याचिका क्र. 888/2005 पर सुनवाई की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा आवेदकगण एवं अन्य अनावेदकगण के विरुद्ध रुपये 1,38,00,000/– (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख) की वसूली हेतु वाद दाखिल किया गया था, जिसमें यह प्रकथन किया गया था कि वे मेडिकल उपकरणों के क्रय–विक्रय से संबंधित व्यवसाय में संलग्न हैं। आवेदक क्रमांक 1, "बड्र्स प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन" का भारतीय एजेंट है, जो कि वेंटिलेटर निर्माण करने वाली कंपनी है, तथा आवेदक क्रमांक 2 उस कंपनी का कार्यकारी निदेशक है। अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा दिनांक 28/02/2002 से 28/09/2002 तक समय–समय पर वेंटिलेटर की खरीद के लिए कुल चार आदेश दिए गए, जिनमें अंतिम आदेश 17 वेंटिलेटर के लिए था। जहाँ तक अन्य आदेशों का संबंध है, वेंटिलेटर भले ही अनावेदक क्रमांक 1 और 2 को प्राप्त हो गए हैं, किन्तु सीमाशुल्क से माल की निकासी हेतु उच्च समुद्र विक्रय संविदा तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अनावेदकगण क्रमांक 1 एवं 2 को नहीं भेजे गए। दिनांक 28/09/2002 को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा रुपये 1,12,20,000/– (एक करोड़ बारह लाख बीस हज़ार) का चेक भुगतान किया गया, परंतु न तो वह चेक भुनाया गया और न ही वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई। इसके बाद, आवेदकगण एवं अन्य अनावेदकगण क्रमांक 3 से 13 की ओर से, अनावेदक क्रमांक 7 के द्वारा दिनांक 13–09–2003 को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 409 के अंतर्गत झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच के बाद पुलिस द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, समाचार पत्र में झूठी खबरें प्रकाशित कर अनावेदक 1 एवं 2 की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाई गई। अनावेदकगण ने अपने वादपत्र में यह भी वर्णित किया है कि आवेदकगण क्रमांक 3 से 13 किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वाद हेतुक दिनांक 28/02/2002, 28/06/2002, 16/07/2002 तथा 28/09/2002 को चिकित्सकीय –उपस्कर हेतु क्रय–आदेश देने से, 28/09/2002 को रूपए 1,12,20,000/– चेक भुगतान करने से, तथा 11/08/2003 को उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज होने व समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने से उत्पन्न हुआ। अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने पूंजी के गतिहीन रहने से ₹23,00,000/–, झूठा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से ₹1,00,00,000/– ,समाचार पत्रों में झूठे आरोपों के प्रकाशन से ₹64,00,000/, भा.दं.सं. की धारा 409 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण के प्रकाशन से ₹27,00,000/– की क्षति होने की बात कही । कुल क्षति ₹2,18,00,000/– अनुमानित की गई, परंतु ₹1,38,00,000/– की ही क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय शुल्क का भुगतान कर शेष दावा प्रास्थगन में रखा गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आवेदकगण, अर्थात वाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2, ने व्य. प्र. सं के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत 'वाद की अस्वीकृति' हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न आधारों पर वाद हेतुक को चुनौती दी गई और व्य. प्र. सं के आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत 'वाद–हेतुक का कुसंयोजन' के विवाद्यक और साथ ही 'न्यायालय शुल्क' 'एवं 'अधिकारिता' से संबंधित विवाद को प्रस्तुत किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अपने आवेदनों में प्रस्तुत सभी आधार लिखित कथन में भी प्रस्तुत किए गए हैं, अतः उपयुक्त विवाद्यकों को विरचित कर इन आपत्तियों का निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। इस स्तर पर बिना साक्ष्य के इन आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदन निरस्त किया जाता है।

व्य. प्र. सं. का आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है :–

''11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ड.) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है:

{परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का, अभिलिखत किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांलन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। }''

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में केवल दो आधार प्रस्तुत किए हैं' अर्थात वाद 'हेतुकों के कु–संयोजन' और 'उचित न्यायालय शुल्क' का भुगतान न किये जाने से ग्रसित है ।

वादपत्र के प्रकथनों से स्पष्ट है कि पूंजी की स्थावरता, गलत रिपोर्ट दर्ज कराने और स्थानीय समाचारपत्रों में 'मानहानिकारक अभ्यारोपणों' का प्रकाशन कारण वादीगण को हुई हानि के लिए 'विशिष्ट अभिवचन 'हेतुक' के समर्थन में बनाये गए हैं। तर्क से स्पष्ट है कि आवेदकगण यह नहीं कहना

चाहते कि वाद में हेतुक के 'अभाव की स्थिति है बल्कि उनका तर्क यह है कि वाद में हेतुक का 'कु-संयोजन' है।

जहाँ तक **व्य. प्र. सं. आदेश VII नियम 11** का संबंध है, वह केवल तब लागू होता है जब वादपत्र के वर्णन से यह स्पष्ट हो कि कारण प्रकट नहीं हुआ है; अतः इस मामले में याचिका में ऐसे दोष नहीं हैं।

जहां तक न्यायशुल्क के भुगतान का प्रश्न है, इसमें कोई विवाद नहीं कि प्रतिवादी 1 एवं 2 ने अपने वाद में ₹ 1,38,00,000/- की राशि, जो वाद का मूल्यांकन है, पर विहित न्यायशुल्क का भुगतान नहीं किया है; केवल विवाद यह है कि वाद में अनावेदक क्र. 1 और 2 ने क्षति को ₹ 2,18,00,000 मूल्यांकन किया लेकिन केवल ₹ 1,38,00,000 की वसूली हेतु वाद दाखिल किया तथा शेष राशि को प्रास्थगन में रखा, जो स्वीकार्य नहीं है। आदेश 7 नियम 11 केवल तब लागू होती है जब दावा कम मूल्यांकन पर किया गया हो और न्यायालय के निर्देश के बावजूद वादी उसका संशोधन न करें। इस मामले में, ना केवल अधिकारिता और ₹ 1,38,000/- के अनुतोष के उद्देश्य से वाद का मूल्यांकन किया गया है, बल्कि उस पर आवश्यक न्यायशुल्क का भुगतान भी किया गया है। अतः वादपत्र में मूल्यांकन या शुल्क सम्बन्धी कोई दोष नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वाद में संयोजित पक्षकारगण, विभिन्न तिथियां जिन पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ, और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत 'हेतुकों के 'कु-संयोजन' संबंधी आपत्तियों को विचारन में लेते हुए यह आवश्यक है कि याचिका व्य. प्र. सं. के आदेश 2 नियम 7 के उद्देश्यानुसार प्रारंभिक-स्तर में वाद हेतुक के कुसंयोजन से संबंधित विवाद्यक निर्धारित किया जाए । 'हेतुकों के 'कु-संयोजन' संबंधी आपत्ति केवल साक्ष्य-आश्रित नहीं हैं; अतः इसे, विधि विवाद्यक होने से, वाद के प्रारंभिक चरण में प्रारंभिक विवाद्यक विरचित कर निर्णीत किया जाना आवश्यक है ।

अनावेदक क्र. 1 और 2 ने यद्यपि रूपए 2,18,000/- के प्रतिकर का आंकलन किया , किन्तु रूपए 1,38,000/- की वसूली हेतु वाद दाखिल किया तथा शेष राशि को प्रास्थगन में रखा। यह एक विधिक प्रश्न कि क्या शेष राशि के लिए अलग दावा किया जा सकता है ? इस पर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, अतः क्या शेष दावे को प्रास्थगन में रखकर बाकी की राशि के लिए वर्तमान वाद जारी

रखा जा सकता है ? इसे वाद के प्रारंभिक चरण में ही आदेश 2 के उपबंधों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि विचारण की आगे की प्रक्रिया में जटिलताओं से बचा जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, मेरा मानना है कि आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के अंतर्गत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है; अतः उपरोक्त अवलोकन के साथ पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में विविध (सिविल) याचिका क्र. **888/2005** – अंतरिम आदेश और शीघ्र सुनवाई बावत अंतर्वर्ती आवेदन क्र. 1743/2005, का निराकरण किया जाता है ।

प्रमाणित प्रति– नियमानुसार।

सही/–
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By "Anoop T Sharma"